समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक 736 / दिनांक 25.5.18

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।
सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।

विषयः– **Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाये प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अमीरी लाल ठाकुर, जिला अध्यक्ष, जिला जनता दल (यूनाईटेड) आदिवासी प्रकोष्ठ, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक–16/18 दिनांक–10.05.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि अंचलों एवं अनुमंडलों द्वारा अंग्रेजी प्रपत्र में अंग्रेजी (रोमन) लिपि में **Lohara (लोहार)** एवं हिन्दी प्रपत्र में हिन्दी लिपि में (लोहार) करके लोहार जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने में अड़चने पैदा की जाती है।

अतः उक्त संदर्भ में बिहार गजट, असाधारण अंक संख्या 689 दिनांक– 23.08.2016 बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित एवं सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3067 दिनांक–06.03.2018 की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्र में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पारदर्शी ढ़ग से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

24.5.18

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Scanned by CamScanner

(4)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 689) पटना, मंगलवार, 23 अगस्त 2016

सं0 11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0—10818
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 08 अगस्त 2016

विषय :– **Lohara** (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–22 पर Lohara, Lohra (लोहार, लोहरा) अंकित था, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) द्वारा संशोधित करते हुए बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–21 के रूप में Lohara, Lohra (लोहारा, लोहरा) सूचीबद्ध किया गया है।

Scanned by CamScanner

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है। अतः ऊपर वर्णित स्थिति में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 689-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

Scanned by CamScanner

(2)

पत्र संख्या–11/आ०नी०–1–04/2016 सा०प्र०....3067....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–....6-3-18....

विषय :– Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्य के कतिपय अंचलाधिकारियों द्वारा परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 के अनुरूप Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। यह वांछनीय नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 द्वारा Lohara (लोहार) जाति को राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जाति प्रमाण–पत्र सहित अन्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सन्दर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परिपत्र की कंडिका–7 में पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जिस विहित प्रपत्र/लिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्रमाण–पत्र निर्गत करने की मांग की जाती है, उन्हें उसी प्रपत्र एवं लिपि में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 के प्रावधानों के आलोक में जाँचोपरांत Lohara (लोहार) जाति के अभ्यर्थियों को परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 के अनुरूप अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अपर सचिव।

Scanned by CamScanner